PART — III

~~अंतर्राष्ट्रीय~~ अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत

8TH PAPER.
International Law.
Dr. Khalid Husain

8-11-97. SOURCES OF INTERNATIONAL LAW :→

अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों के संबंध में विधिवेत्ताओं तथा विद्वानों के बीच मतभिन्नता पाई जाती है। विभिन्न न्यायिक निर्णयों में भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों के विभिन्न प्रकार एवं संख्या के संबंध में भिन्न-२ विचार व्यक्त किए गए हैं। Oppenheim तथा O'Connell ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के छः स्रोतों का उल्लेख किया है। Starke ने सामान्य रूप से स्वीकृत स्रोतों से अलग एक स्रोत का भी उल्लेख किया है। Norwegian claims case में Permanent Court of Arbitration ने (i) Treaties, (ii) Customs, (iii) General Principle of Law recognised by the civilised nations तथा (iv) न्यायिक निर्णयों को अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में स्वीकार किया। 1927 के Lotus case में P.C.I.J. ने पहले तीन स्रोतों को ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में स्वीकार किया। परन्तु आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय विधि के पाँच स्रोतों को स्वीकार किया जाता है। इनमें से संधियों, प्रथाओं तथा कानून के ~~सामान्य~~ समान सिद्धांतों को प्रमुख स्रोत तथा न्यायिक निर्णयों तथा विधिवेत्ताओं के ग्रंथों को सहायक स्रोत कहा जा सकता है।

उपरोक्त पाँचों स्रोतों को I.C.J. की संविधि की 38 वीं धारा में महत्व के लिहाज से व्यवस्थित रूप से रखा गया ~~है~~ है। दूसरे शब्दों में, I.C.J. की Statute (1) Treaties and conventions, (2) Customs, (3) General Principles of Law recognised by the civilised nations, (4) न्यायिक निर्णय एवं (5) विधिवेत्ताओं के ग्रंथ एवं उल्लेख को अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में स्वीकार करती है।

Customs :—

प्रथाएँ चूँकि अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रारंभिक एवं प्राचीनतम स्रोत हैं, इसलिए विभिन्न स्रोतों के उल्लेख को प्रथाओं के उल्लेख से ही शुरू किया जाए। 19 वीं सदी के अंत तक प्रथाओं को ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के ~~प्रारंभिक~~ सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता था।

Scanned with CamScanner

अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में प्रथाओं को समझने के लिए प्रथाओं एवं व्यवहारों के बीच अंतर एवं उनके बीच पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करना वांछनीय होगा। प्रथा आचरण करने के ऐसे स्पष्ट एवं सतत् स्वभाव को कहते हैं जिसका विकास इस विश्वास के अंतर्गत हुआ है कि यह आचरण अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार अनिवार्य अथवा उचित है, जबकि व्यवहार के साथ ऐसा नहीं है। इसके अतिरिक्त, व्यवहार आचरण के वैसे स्वभाव को कहते हैं जो अपने निर्माण के प्रारंभिक चरण में होते हैं और विश्व के अधिकांश देशों या सभी राज्यों द्वारा उन्हें सामान्य रूप से नहीं माना जाता जबकि प्रथाएँ अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ होती हैं और इसके विकसित रूप में होने के चलते विश्व के अधिकांश वैसा उन्हें मानते हैं।

प्रथा के निर्धारण के लिए सामान्यतः पाँच साक्ष्यों का सहारा लिया जाता है :- (i) संयुक्त राज्यों के विदेश कार्यालयों के वैसे कर्तव्य जिनमें प्रथागत नियमों के संबंध में राज्यों के व्यवहार के प्रमाण निहित होते हैं, (ii) विधिवेत्ताओं के ग्रंथ एवं प्रलेख जिनमें विभिन्न प्रथागत नियमों के विकास की प्रक्रिया की व्याख्या उनके द्वारा की जाती है। (iii) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का व्यवहार, (iv) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों का व्यवहार तथा (v) राज्यों के विधि न्यायालयों के व्यवहार।

TREATIES AND CONVENTIONS :—

संधियों को अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रत्यक्ष स्रोत कहा जा सकता है। P.C.I.J. ने Wimbledon Case में निर्णय देते हुए अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में संधियों को प्राथमिकता दी।

अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत की दृष्टि से संधियों को दो वर्गों में बाँट सकते हैं — Law-making Treaties तथा, Treaty Contracts. अंतर्राष्ट्रीय विधि की दृष्टि से बहुपक्षीय विधिकारी संधियों को ही प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है क्योंकि इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि के बहुत से नियमों को निरूपित किया जाता है। परन्तु बहुपक्षीय संधियों का विधायी महत्व था प्रथम

Scanned with CamScanner

इस बात में निहित होता है कि बड़ी संख्या में राष्ट्र उनके पक्षधर हों तथा उनमें विश्व के लगभग सभी महान राष्ट्र सम्मिलित हों। ऐसी विधिकारी संधियों में 1856 का Paris Conventions, 1874 का Universal Postal Union Convention, 1899 तथा 1907 के Hague Conventions, 1919 का League Covenant, 1930 का Geneva Conventions, 1945 का U.N. Charter, 1949 का Geneva Conventions, 1982 की Sea Law treaty आदि का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता सकता है।

संधि अनुबंध को अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं कहा जा सकता, परन्तु ये संधियाँ भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में सहायक सिद्ध हुई हैं।

General Principle of Law :—

अबतक न्यायालयों द्वारा जिस प्रकार कानून के सामान्य सिद्धान्तों का प्रयोग किया गया है उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कानून के सामान्य सिद्धांत वैसे सिद्धांत हैं जिन्हें सभ्य राज्य अपनी विधि व्यवस्थाओं में मान्यता प्रदान करते हैं और साथ ही साथ उन सिद्धांतों को राज्यों के मध्य के पारस्परिक संबंधों में भी लागू किए जाते हैं।

इस प्रकार यद्यपि प्रथाओं से सिद्धांतों को मुश्किल से ही अलग किया जा सकता है, परन्तु यह ध्यान देने योग्य है कि ये सामान्य सिद्धांत प्रथाओं से मूलतः भिन्न हैं। यह भिन्नता कुछ न्यायिक निर्णयों पर दृष्टि डालने से भी स्पष्ट हो जाती है। ऐसे निर्णयों में Chorzow Factory Case - 1927, Mavrommatis Palestine Concessions Case तथा Nauilla Case में P.C.I.J. तथा P.C.A. के निर्णय को रखा जा सकता है।

Law Determining Agencies :—

विधि निर्धारक

अभिकरणों में न्यायिक निर्णयों का महत्त्व अधिक है। निःसंदेह न्यायालय का कार्य विधि के अनुसार निर्णय

Scanned with CamScanner

करना होता है, विधि निर्मित करना नहीं। परन्तु विधि की व्याख्या करने में न्यायालय नवीन नियमों का प्रतिपादन भी कर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों तथा राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दिये गए निर्णयों का विधि के नियम के निर्धारण के लिए सहारा लिया जा सकता है। परन्तु दोनों प्रकार के न्यायालयों में अधिक महत्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के निर्णय को दिया जाता है।

विधिवेत्ताओं के ग्रंथ एवं प्रलेख :— विधि निर्धारक अभिकरणों के रूप में केवल वैसे ही विधिवेत्ताओं एवं विद्वानों के लेखों एवं प्रलेखों को महत्व दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर चुके हों। इन ग्रंथों एवं प्रलेखों को ~~साक्ष्यों~~ राज्य-व्यवहार के प्रमाण के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि मृत विधिवेत्ताओं एवं विद्वानों के लेखों एवं प्रलेखों से अधिक महत्व दिया जाता है। फिर, ~~Territorial~~ विधिवेत्ताओं एवं विद्वानों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से अधिक महत्व Extra Territorial विधिवेत्ताओं एवं विद्वानों के द्वारा व्यक्त किए गये विचारों का होता है।

Scanned with CamScanner